


मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक ०९/०९/२०२०

क्रमांक ८५५/३४४७/२०१७/३८-२:- राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को आदेश दिनांक ०८/१२/२०१७ द्वारा शोध छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता प्रदान की गई थी। आदेश क्रमांक एफ १-४२/२०१७/३८-१, दिनांक २६/०६/२०१८ में अर्न्तनिहित निर्देशों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है कि अतिथि विद्वानों की बढ़ायी गयी कार्यअवधि के परिप्रेक्ष्य में उन्हें शोध छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है।


  
(वीरन सिंह भलावी)  
अवर सचिव  
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक ८५५/३४४७/२०१७/३८-२

भोपाल दिनांक ०९/०९/२०२०

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र., भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की और कम्प्यूटर पर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाईल  
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव  
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग